प्रतिदिन सैकड़ों ट्राली निकल रही अवैध रेत

रेत माफिया बेखोफ

गोहपारू। रेत माफिया सक्रिय प्रशासन के नाक के नीचे पचासों टैक्टर रेत खनन नदियों में कर रहे हैं। इस अवैध कारोबार को रोकने है किसी में दम यदि है तो जानबूझकर अनजान बनें हुए हैं चाहे पुलिस विभाग हो चाहे वन विभाग या फिर खनिज विभाग हो मैनेज लग रहे हैं। जहाँ गोहपारू से लगे पैलवाह, सकरिया, गोडारू, देवरी नंबर दो, देवदहा, सोंनटोला, दियापीपर, बरमनियां, बरेली, खैरी घाट, लेदरा, कुनुक नदी, चुहिरी, खन्नौधी, सेमरा, लामर, पाथर, सरसी, रतहर, गुलगुल नाला, चूंदी नदी, गोपालपुर, पटोरी जैसे गावों की नदियों में पचासों टैक्टर नहीं बल्कि सैकड़ों रेत की अवैध रूप से कानून से छूट पाकर पूरे रात परिवहन किया जा रहा है हर गांव के गली गली में रेत पाट दिये गये हैं। गोहपारू के सड़क किनारे हर गलियों में रेत ही रेत के ढेर सारी दिखाई दे रही है। पहले तो वन विभाग से माफिया को डर था लेकिन अब किसी बिभाग से भी डर नहीं मानते हैं। यहाँ तक की बिभाग खुद माफिया को समय समय की जानकारी दे रहा है और रास्ता भी बता रहा है। हाँ एक बात जरूर है कि जो बिना मैनेजमेंट के काम कर रहा है उसके लिए आनन फानन में धर पकड़ की कार्यवाही होने में समय नहीं लगता है। डायल 100 की गाड़ी सायरन बजाकर माफिया को मजबूत भी कर रहा है और डियूटी भी पूरा किया जा रहा है। कौन कहता है कि अफवाह फैला रहा है आप किसी भी समय किसी रास्ता में खड़े होकर नजारा देख सकते हैं। हर रोज की बात करते हैं जहाँ रेत की गाड़ी ना चले। माफिया अतीक अहमद जैसे रोल बना कर कारोबार करते हैं। रात्रि में जब पुलिस को माफिया से खतरा बना रहता है तो आम आदमी के लिए घर से बाहर निकलने से पहले हरपल खतरा बना रहता है गुंडाराज चल रहा है गोहपारू क्षेत्र में लाल साहब के सामने पीला साहब कुछ भी नहीं है। जिनके डर भय से ग्रामीण क्षेत्र की जनता आम को इमली भी बोल सकते हैं। जिनके घर घर बंदूक हैं और वह कभी भी चुनाव के समय थाना में जमा नहीं करते हैं फिर भी लोग डर भय से पुलिस में सिकायते नहीं करते हैं चलते पुलिस कहीं मुखबिर की गोपनीयता भंग सकती है।

58 लीटर अंग्रेजी शराब पुलिस ने की जप्त

आरोपी हुआ फरार

ब्योहारी। पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव द्वारा अवैध गतिविधियों मे संलिप्त ब्यक्तियो के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करने के निर्देश अधीनस्थ स्टाप को दिया जा रहा है उसी क्रम मे ब्योहारी पुलिस को नशे के विरुद्ध कार्यवाही करने मे बड़ी सफलता मिली है। ग्राम चरका निवासी पंकज कुमार कोल पिता रामलखन कोल उम्र 22 वर्ष द्वारा अपने घर मे अवैध रुप से शराब रख कर बिक्री की जा रही थी जिसकी सूचना मिलने पर ब्योहारी पुलिस द्वारा पंकज के घर मे दिनांक 02/04/2025 को दबिस दी गयी है। पुलिस द्वारा पंकज को आवाज देने पर पुलिस को देखते ही अंधेरा का फायदा उठाते हुए पंकज कोल पीछे तरफसे कूदकर भाग गया है। पुलिस द्वारा पंकज कोल के घर की तलासी ली गयी जिसमे अंग्रेजी शराब बैगपाइपर के 96 पाव, 8च्ड के 28 पाव तथा सफेद प्लेन देशी मदिरा 200 पाव कुल 58 लीटर अंग्रजी शराब जप्त की गयी है जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार मे कीमत 50000 रू से अधिक की बतायी जा रही है जिस पर थाना ब्योहारी मे पंकज कोल पिता रामलखन कोल के खिलाफ अपराध क्रमांक 235/25 धारा 34(2) अबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है साथ ही फरार आरोपी की पता तलाश की जा रही है। उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक शहडोल रामजी श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं अति. पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान एवं एस.डी.ओ.पी. ब्यौहारी रवि प्रकाश कोल के दिशा निर्देशन मे ब्यौहारी पुलिस थाना प्रभारी ब्यौहारी निरी. अरूण पाण्डेय एवं अधीनस्थ स्टाफ उनि बालकरण प्रजापति, सउनि गया प्रसाद कन्नौजे, प्र.आर. नरेन्द्र उपाध्याय, आर. अजीत यादव, आर. अमृत यादव, आर. त्रिलोक सिंह, आर. योगेन्द्र पाण्डेय द्वारा की गयी है।

सांसद ने रेल मंत्री के समक्ष रखी स्टेशन में रैप निर्माण की मांग

स्टेशन का हो रहा कायाकल्प किन्तु सुविधाएँ जस की तस

शहडोल । अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत शहडोल के रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है। किन्तु यह कायाकल्प बाहरी खूबसूरती को निखारने पर हो रहा है। 16.59 करोड़ रूपए की लागतसे हो रहे कायाकल्पमें स्टेशन के बाहरी हिस्से का तो कायाकल्प हो रहा है, किन्तु वर्षों से रैम्प, एस्कलेटर या लिफ्ट लगने का इंतजा कर रहे बुजुर्ग, मरीज व दिव्यांग यात्रियों की उम्मीद इस अमृत योजना में पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है।संभागीय मुख्यालय के इस प्लेटफार्म क्रमांक एक से दो व तीन तक जाने और आने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर शहडोल लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार, शहडोल स्टेशन पर रैंप निर्माण एवं यात्री गाड़ियों के ठहराव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर अनुरोध पत्र सौंपा। सांसद ने बताया कि रेल मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

नरवाई जलाने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

आग से भूमि की उर्वरक शक्ति होती कम

शहडोल । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ केदार सिंह ने आदेश जारी किया है कि जिले में धान एवं गेंहू मुख्य फसल के रूप में की जा रही है। उक्त फसलों की कटाई मुख्य रूप से कंबाईन हार्वेस्टर के माध्यम से की जाती है। कंबाईन हार्वेस्टर से कटाई उपरांत फसलों की नरवाई में आग लगाने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। आग लगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी होती है तथा पर्यावरण भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के द्वारा नरवाई में आग लगाने की घटनाओं की सेटेलाईट मैपिंग की जा रही है। नरवाई में आग लगाना कृषि के लिये नुकशानदायक होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण विगत वर्षों में गंभीर स्वरूप की अग्नि दुर्घटनायें घटित हुई है तथा व्यापक संपत्ति की हानि होती है। ग्रीष्म ऋतु में बढ़ते जल संकट में इससे बढोत्तरी तो होती है ही साथ ही कानून व्यवस्था के लिये विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है। खेत में आग के अनियंत्रित होने पर जन, धन, संपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जन्तु आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यापक नुकसान होता है। खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट होते हैं, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति शनैः शनैः घट रही है और उत्पादन प्रभावित होता है। खेत में पड़ा कचरा भूसा डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं, जिन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जारी ओदश में समस्त हार्वेस्टर मालिकों को निर्देशित किया गया है कि फसलों की कटाई में उपयोग किये जाने वाले कंबाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। कंबाईन हार्वेस्टर के साथ एसएमएस अथवा स्ट्रा रीपर में से कोई भी एक मशीन साथ में रखना अनिवार्य होगा। फसलों की कटाई उपरांत नरवाई में आग लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा साथ ही नरवाई में आग लगाना दण्डनीय होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा.न्या.सं. की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

पशु मेला का किया गया आयोजन

शहडोल । दिनांक 02 अप्रैल 2025 से गौशाला कौवासरई विकास खंड जयसिंहनगर अन्तर्गत मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना अंतर्गत् विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा हितग्रहियो को पशुपालन विभाग द्वारा दुधारू भैंस वितरण करने हेतु पशु मेला/शिविर का आयोजन किया गया है. उक्त शिविर मे विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी हितग्रहियो को पशुपालन, दुग्ध दोहन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा.शिविर मे भैंस वितरण पूर्व चार पाली का दुग्ध दोहन कराया जायेगा । उपसंचालक् डॉ आर के पाठक द्वारा गठित चयन समिति के बी पशु वितरण की कार्यक्रम दिनांक 05/04/2025 को गौशाला कौवासरई विकास खंड जयसिंहनगर मे विधायक शरद जुगलाल कोल जयसिंहनगर विधायक मनीषा सिंह, जनपद पंचायत जयसिंहनगर अध्यक्ष मालती सिंह जनपद पंचायत जयसिंहनगर कृषि स्थाई समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति मे कराया जायेगा।

भारतीय उन्नत नस्ल की सर्वोत्तम दुधारू गायों को किया जाएगा पुरस्कृत

शहडोल ।भारतीय नस्ल के गोवंशीय पशुओं के पशुपालन को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना संचालित की गई है। योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है ।डॉ आर .के . पाठक,उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला शहडोल द्वारा बताया गया कि इसके लिए आवेदन 04 अप्रैल तक आमंत्रित हैं। उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिला शहडोल , डॉक्टर आर के पाठक ने जानकारी दी है कि जिनके पास भारतीय नस्ल की उन्नत गाय जिसका दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 06 लीटर या उससे अधिक हो, टैगिंग यूनिक आईडी एवं उसकी समस्त जानकारी भारत पशुधन एप पर दर्ज़ हो ऐसे पशुपालक अपने आवेदन को निकटतम पशु चिकित्सा संस्था में प्रस्तुत करें ।आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2025 तक रहेगी ।योजना विकासखंड स्तर पर चयन 05,06 एवं 07 अप्रैल को ग्राम स्तर पर तीन समय दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा ।जिला स्तर पर प्रतियोगिता में गायों का चयन विकास विकास खंड स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित हुई गायों के दुग्ध उत्पादन के आधार से ही किया जाएगा ।जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए प्रथम पुरस्कार ?51 हजार, द्वितीय पुरस्कार ? 21 हजार, तृतीय पुरस्कार ?11 हजार, राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार- ? 2 लाख द्वितीय पुरस्कार एक लाख तथा तृतीय पुरस्कार 50000 का रहेगा ।सभी पशुपालक कृषक एवं पशु प्रेमियों से निवेदन है कि आपके पास 06 लीटर या उससे अधिक दूध प्रतिदिन देने वाली देसी उन्नत नस्ल की गए हो तो प्रतियोगिता में जरूर शामिल हो और हमारे विभाग के कर्मचारियों से संपर्क कर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवायें।

11 अवैध प्लाटिंग को सरकारी प्रबंधन में लेने हेतु समिति गठित

कृषि भूमियों को नियम विरूद्ध छोटे-छोटे टुकड़ों में किया था विक्रय

शहडोल । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अरविंद शाह ने तहसील सोहागपुर अंतर्गत 11 अवैध प्लाटिंग को सरकारी प्रबंधन में लेने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर में विचाराधीन 11 प्रकरणों में कृषि भूमि को भूखण्डों में विभक्त कर विक्रय किया गया है जो की विहित धाराओं के तहत अवैध प्लाटिंग के संबंध में नियम एवं विहित प्रावधानानुसार प्रबंधन में लिये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहागपुर, सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग शहडोल व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की त्रिस्तरीय प्रबंधन समिति का गठन करते हुए संबंधित को प्रबंधक नियुक्त किया गया है। त्रिस्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा प्रश्नाधीन आराजी को प्रबंधन में दर्ज किया जाना, पंजीयन कार्यालय में प्रबंधन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना पंजीयन एवं अन्तरण न किये जाने हेतु आदेश जारी करना। उक्त प्रबंधन समिति उपरोक्त भूमियों के अभिलेख में नियमानुसार म.प्र. शासन दर्ज कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी, संबंधित तहसीलदार पंजीयक शासन के नियमानुसार अनुमति/अनुज्ञा के भूमियों का पंजीयन व अन्तरण पर रोक लगाना। जारी आदेश में कहा गया है कि जिन 11 अवैध प्लाटिंग के प्रकरण हैं उनमें ग्राम पोंगरी, पचगांव, वासिन वीरान, कल्याणपुर, पिपरिया, छतरपुर, जमुआ, चांपा, कुदरी के नाम शामिल है।

शासन के नियमानुसार ही शुल्क लें निजी विद्यालय : कलेक्टर

शहडोल । कलेक्टर डॉ केदार सिंह की उपस्थित में कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में जिले के प्राईवेट विद्यालयों में फीस वृद्धि संबंधित बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने प्राईवेट विद्यालय के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय में फीस की वृद्धि शासन के नियमानुसार एवं समिति की शर्तों के अनुरूप ही बढ़ाना सुनिश्चित करें। उन्होनें कहा है कि किसी भी विद्यालय में फीस की वृद्धि मनमाने तरीके से नहीं होनी चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी प्राईवेट विद्यालय हैं उनकी सतत रूप से जांच की जाए। जांच के दौरान विद्यालयों में छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की जांच की जाए। इसे साथ ही कलेक्टर ने जिले में संचालित समस्त प्राईवेट विद्यालयों में ली जाने वाली फीस की भी जानकारी ली।बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मारपाची, जिला कोषालय अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

भूतपूर्व सैनिक संगठन की बैठक आयोजित

शहडोल । भूतपूर्व सैनिक संगठन की बैठक का आयोजन वार्ड नंबर 37 स्थित भूतपूर्व सैनिक चंद्र प्रताप गोस्वामी के घर में किया गया। इस अवसर पर नगर में निवासरत भूतपूर्व सैनिकों की उपस्थिति रही।बैठक के आयोजन के बारे में कहा गया कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भूतपूर्व सैनिकों के हितों को बढ़ावा देने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। इस बैठक में संगठन के विस्तार के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए योजनाओं, सैनिकों की पेंशन और अन्य लाभों के बारे में, सैनिकों के परिवारों के लिए सहायता और समर्थन, सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार के अवसरों के बारे में एवं सैनिकों की समस्याओं का समाधान और उनके हितों की रक्षा। बैठक में भूतपूर्व सैनिक व रिटायर्ड डीएसपी जगदीश गुप्ता, विष्णु विश्वकर्मा, गोपाल तिवारी, रविन्द्र सिंह, हीरा नायक, जगदीश पटेल, शंभु श्रीवास्तव,मोहन वर्मा, रमाकांत शुक्ला सहित कई अन्य भूतपूर्व सैनिक सम्मलित हुए।

स्वर्णप्राशन संस्कार 6 को

शहडोल ।जिला आयुष अधिकारी डॉ. शशी प्रभा पांडे ने जानकारी दी है कि प्रत्येक माह की तरह इस माह भी पुष्य नक्षत्र में आयुष विभाग द्वारा जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय शहडोल में 6 अप्रैल 2025 को प्रातः 10:00 बजे से 5:00 तक स्वर्णप्राशन संस्कार का आयोजन किया जाएगा।

करंट में फसने से कैलाश एवं छोटू की हुई मृत्यु : 4 आरोपी गिरफ्तार

जंगली जानवरों को मारने के लिये लगाया गया था करंट

ब्योहारी। मोलेराम कोल पिता बोधई कोल उम्र 36 वर्ष निवासी बलौड़ी पश्चिम द्वारा थाना मे सूचना दिया था कि दिनाक 31.10.24 को अपने जीजा छोटू कोल निवासी खड्डा के यहा निमंत्रण मे आया था खाना पीना खाकर जीजा छोटू कोल एव जीजा के भाई कैलाश कोल के साथ रात्रि करीब 10.00 बजे गहनुआ नाला मे लगे मोटर पम्प को बंद करने घर से करीब 2 किमी दूर गये थे पम्प बंद कर आधे घंटा के बाद वापस हम तीनो लोग लौट रहे थे आगे आगे कैलाश और उसके पीछे मेरा जीजा छोटू और मै सबसे पीछे चलकर आ रहे थे कुछ दूर चलने के बाद आते समय कैलाश रास्ते मे लगे नंगी बिजली तार की करंट की चपेट मे आने से छोटू कोल एव कैलाश कोल को बिजली करंट लगा गया बिजली करंट लगने से कैलाश की मौत हो गई व छोटू कोल को बिजली का छटका लगने से फेका गया मै उनके पीछे था मुझे करंट नही लगा तभी मै गोहार मारते हुये आवाज दिया तो कोई नही आया तब मै रोशनदास कोल के घर गया और उसे बुलाकर लाया तब तक छोटू की सांस चल रही थी कैलाश कोल की मृत्यु हो गई थी छोटू कोल को ब्यौहारी अस्पताल मे भर्ती कराये है ।रिपोर्ट पर थाना मे मर्ग क्र. 130/24 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम कर जांच मे लिया गया ।इसी बीच दिनांक 02.11.2024 को सी.एच.सी. ब्यौहारी से सूचना प्राप्त हुई कि करंट लगने से घायल छोटू कोल को उपचार हेतु भर्ती कराया गया था जिसकी दिनाँक 02.11.2024 को सुबह करीब 08.00 बजे मृत्यु हो गयी है ।जो सूचना पर थाना मे मर्ग क्र. 133/2024 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम कर जांच मे लिया गया ।दोनो मर्ग की जांच के दौरान मृतक कैलाश कोल एवं छोटू कोल के शव का शव पंचनामा किया जाकर पी.एम. कराया गया तथा फरियादी एवं गवाहानो के कथन लेख किये गये तथा दोनो मृतको की पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त हुई । साक्षियों के कथन एवं पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 730/24 धारा 105 बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।

विवेचना के दौरान घटना मे मंदीप कोल निवासी डंडी टोला खड्डा की भूमिका प्रकाश मे आने पर मंदीप कोल की तलाश की गई किन्तु घटना के बाद से ही मंदीप कोल के फरार हो जाने से मंदीप कोल से पूछताछ नही की जा सकी थी ।विवेचना के दौरान दिनांक 01-02/04/2025 की रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मंदीप कोल ग्राम खड्डा मे आ गया है। मंदीप कोल की तलाश कर उसे पुलिस अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपने गांव के साथी हरिशंकर कोल पिता राजाराम कोल उम्र 50 वर्ष, झल्लू कोल पिता राजाराम कोल उम्र 48 वर्ष, उमेश पटेल पिता रामानुज पटेल उम्र 40 वर्ष सभी निवासी ग्राम खड्डा के साथ घटना घटित करना कबूल किया गया जो उक्त सभी को अभिरक्षा मे लेकर घटना के संबंध मे पूछताछ की गई जो बताये कि जंगली सुअर का शिकार करने के लिये बिजली करंट लगाने का काम करीब 01 वर्ष से करते आ रहे है उसी बिजली करंट मे फंसकर कैलाश कोल एवं छोटू कोल की मृत्यु हुई है । आरोपीगणों के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना मे प्रयुक्त लकडी की खूंटी एवं करेंट फैलान मे प्रयुक्त जी.आई. तार जप्त किया गया है तथा आरोपीगणों विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोपीगण मंदीप कोल पिता प्यारेलाल कोल उम्र 22 वर्ष, हरिशंकर कोल पिता राजाराम कोल उम्र 50 वर्ष, झल्लू कोल पिता राजाराम कोल उम्र 48 वर्ष, उमेश पटेल पिता रामानुज पटेल उम्र 40 वर्ष सभी निवासी ग्राम खड्डा को दिनांक 03.04.2025 को गिरफ्तार किया जाकर आज दिनांक को न्यायालय पेश किया जा रहा है । उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री रामजी श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं अति.पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री अभिषेक दीवान तथा एस.डी.ओ.पी. ब्योहारी रवि प्रकाश कोल के दिशा निर्देशन मे ब्यौहारी पुलिस द्वारा की गई है ।कार्यवाही मे थाना प्रभारी ब्यौहारी निरी. अरूण पाण्डेय एवं अधीनस्थ स्टाफ उनि मोहन पडवार, उनि श्याम सिंह, सउनि गया प्रसाद कन्नौजे, प्र.आर. नरेन्द्र उपाध्याय, प्र.आर. केदार सिंह, आर. त्रिलोक सिंह, आर. अमृत यादव, आर. अजीत यादव, आर. पुष्पेन्द्र सिंह, आर. राजीव सिंह, आर. गंगासागर गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।